न्यायालय अंचल अधिकारी,बेंगाबाद

विविध वाद सं0 02 / 2020–21

राम किशुन सिंह पिता नन्हकु सिंह

बनाम्

भूनेश्वर सिंह वगैरह सा0 –नगरी, बेंगाबाद।

11.11.2020

आदेश दिनांक 11.11.2020

राम किशुन सिंह पिता नन्हकु सिंह सा0 नगरी थाना बेंगाबाद द्वारा आवेदन दिया गया कि मौजा सलौया थाना न0 396 खाता सं0 34 कुल रकवा 3.75 ए0 के पंजी ॥ मे दर्ज नन्हकु सिंह, जगदिश सिंह व कनी सिंह के आलावा भुनेश्वर सिंह पिता हेमलाल सिंह, वकील सिंह पिता शिबु सिंह का नाम प्रविष्ठ हो गया है भुनेश्वर सिह, वकील सिंह, एवं वकील सिंह, शिबु सिंह का उपरोक्त भूमि से कोई संबंध नही है इन नामों को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में दोनों पक्षों को अपना–अपना कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया की टुपलाल सिंह के तीन पुत्र थे जगदीश सिंह नन्हकु सिंह वो कनी सिंह थें जिसमें कनी सिंह की मृत्य नावल्द हो गई है। जगदीश सिंह के दो पुत्र हिरदो सिंह वो खिरोधर सिंह है नन्हकु सिह के तीन पुत्र कमशः चौधरी सिह, रामेश्वर सिह, व रामकिशन सिंह है।

प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध करायें खतियान में खाता 34 के खतियानी रैयत का नाम फटा हुआ है का जिक है जिसके कारण स्पष्ट रूप से खतियानी रैयत का नाम पठनीय नहीं है सुनवाई के कम में विपक्षी गण द्वारा लिखित रूप से दिनांक 20.10.2020 दिये आवेदन में चेतलाल सिंह उर्फ चेतु सिंह का वंश वृक्ष दिलाया गया है जिससे चेतलाल सिह का छः पुत्र होने का जिक है कमशः टुपलाल सिह गाजो सिंह, हुबी सिंह, अमन सिंह, हरदयाल सिंह उर्फ हेमलाल सिंह वो शीबु सिंह है। विपक्षीगण टुपलाल सिंह के भाइयों के वारिसादन है। उक्त संबंध मे खतियनी रैयत के नाम के सत्यता के लिए द्वितीय पक्ष से खतियन की नकल की प्रति या अन्य राजस्व कागजात की मॉग की गई जिससे स्पष्ट हो कि चेतलाल सिह उर्फ चेतु सिंह है या टुपलाल सिंह है। दिनांक 10.11.2020 के सुनवाई के कम में विपक्षी राम प्रसाद सिंह द्वारा उपलब्ध काराये गये दस्तावेज में वर्णित है कि मौजा खाता 34 की भूमि सर्वे खतियान चेतु सिंह परदादा मोकीर के नाम पर दर्ज है। जिसमें गवाह के रूप में चौधरी सिंह के भाई रामेश्वर सिंह पहचान कर्त्ता के रूप में है जो प्रथम पक्ष से संबंधित है। आवेदन में यह भी जिक किया गया है कि प्रथम पक्ष के भाई द्वारा अपने तीनो भाई के हिस्से की जमीन का केवाला के माध्यम से निबंधित दलील सं0 3871 / 1990 से अयोध्या प्र0 राय को बेच दिया गया है। अब शेष रकवा 3.75 ए0 भूमि हम सभो की है जो चेतु सिंह के वंशज है।

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि आवेदक एव विपक्षीं दोनो पक्षों के बीच भूमि बटवारा को लेकर विवाद है जिससे प्रथम दृष्टया मामला सत्व वाद सें संबंधित है अतः आवेदक का पंजी ॥ से विपक्षी गण भुनेश्वर सिंह हेमलाल सिंह वकील सिह व शिबु सिंह का नाम विलोपित संबंधी आवेदन को निरस्त किया जाता है। आवेदक इस संबंध में सक्षम न्यायालय से सत्व निर्धारण संबधी वाद दायर कर सकते है सक्षम न्यायालय से इस संबंध में प्राप्त निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जा सकती है।

लेखापित एवं संशोधित

11/11/2020

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

11/11/2020

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

Adesh Falak amit sir (d)